भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1622

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
तमिलनाडु राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1622. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2019 से तमिलनाडु राज्य में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने मई, 2019 से तमिलनाडु राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, को बढ़ाने अथवा आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कुल अंतर्वाह में इक्विटी संबंधी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनः निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। एफडीआई के कुल अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए राज्य-वार विवरण अक्तूबर, 2019 से रखे जा रहे हैं। अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2023 तक तमिलनाडु राज्य में संसूचित किए गए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
(1)	(2)	(3)
1	2019-20 (अक्तूबर, 2019 से)	1,006.07
2	2020-21	2,323.46
3	2021-22	3,003.16
4	2022-23	2,168.96
5	2023-24 (सितम्बर, 2023 तक)	1,348.61
	कुल	9,850.25

(ख) से (घ): एफडीआई नीति एक सक्षमकारी नीति है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू है। और अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए, सरकार ने एक निवेशक

अनुकूल एफडीआई नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने रक्षा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियों, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, नागर विमानन, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियों, कोयला खनन, अनुबंध आधारित विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, बीमा क्षेत्र की मध्यवर्ती कंपनियों, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में एफडीआई संबंधी कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी सुधार लागू किए हैं। इसके अलावा, सरकार एफडीआई नीति की निरंतर समीक्षा करती है और समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव करती है, ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य स्थल बने रहना सुनिश्चित किया जा सके।

*****